राजस्थान में नई रेलवे लाइनों का निर्माण

182. **श्री चतुर्भुज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में नई रेलवे लाइनों के निर्माण पर खर्च के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि राजस्थान में खर्च की जायेगी; और

(ग) राज्य की प्रस्तावित नई रेल परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) चालू वर्ष में नयी लाइनों के निर्माण और उखाड़ी गयी लाइनों को फिर से बिछाने के लिए 23.58 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) राजस्थान में पड़ने वाले सूरतगढ़–भटिंडा रेलवे लाइन के आमान–परिवर्तन का काम चल रहा है और दिल्ली–अहमदाबाद के आमान–परिवर्तन का कार्य जो अधिकांशतः राजस्थान में पड़ता है, को 1977–78 के बजट में शामिल कर लिया गया है। बीकानेर से छतरगढ़ तक की नयी रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य को भी 1977–78 के बजट में शामिल कर लिया गया है। इससे राजस्थान केनाल क्षेत्र के लिये रेल सुविधा सुलभ हो सकेगी।

बूंदी, झालावाड़, चित्तौरगढ़ में रेलवे लाइनें बिछाने और उनका विस्तार करने सम्बन्धी नई नीति

183. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या रेल मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों में रेल लाइनें बिछाने और उनका विस्तार करने के लिये कोई नई नीति अपनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ तथा अन्य क्षेत्रों में नये रेल मार्गों का निर्माण न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां, सरकार की यह नीति है कि देश के उन पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाय, जहां पर्याप्त यातायात होने की सम्भावना हो और जहां इनके निर्माण से उन क्षेत्रों का विकास हो सके।

(ख) धन की बहुत ही कमी है यहां तक कि जो परियोजनाएं इस समय चल रही ह उनके लिए भी यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। धन की कमी के कारण बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और अन्य क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का काम प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो पाया है।

विदिशा रेलवे स्टेशन पर स्थित पैदल 'ओवरब्रिज' का विस्तार किया जाना

184. **श्री राघवजी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को विदिशा रेलवे स्टेशन पर स्थित पैदल ओवरब्रिज का विस्तार करने के लिये सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उपरोक्त पुल के विस्तार की कोई योजना मध्य रेलवे के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या विदिशा रेलवे स्टेशन पर वाहनों के लिए भी ओवरब्रिज बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) विदिशा में ऊपरी पैदल पुल को लम्बाई में बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उसे चौड़ा करने के लिए नहीं।

(ख) विदिशा में ऊपरी पैदल पुल की 8′ से 12′ चौड़ाई करने के प्रस्ताव पर मध्य रेलवे ने अपनी इच्छा से विचार किया था, किन्तु इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया क्योंकि ऊपरी पैदल पुल का वर्तमान ढांचा अतिरिक्त भार वहन करने के लिए सुरक्षित नहीं है।

(ग) जी हां, विदिशा में वर्तमान समपार स० 270-बी के बदले एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है और योजना की सामान्य रूपरेखा मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेज दी गयी है, जिसका अभी इन्तजार है। योजना के आरेख, अभिकल्प और अनुमानों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा रेलवे और राज्य सरकार की परस्पर सहमति हो जाने के बाद इस प्रस्ताव को रेलवे के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विचार किया जायेगा बशर्ते धन उपलब्ध हो।

निःशुल्क रेल यात्रा और रियायती दरों पर रेल यात्रा की सुविधा

185. श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे प्रशासन कुछ ऐसे व्यक्तियों तथा सार्वजनिक संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा समाज सेवकों को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर निश्चित अवधि में, निश्चित स्टेशनों के बीच या सभी स्थानों की यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है जिनका रेलवे प्रशासन अथवा रेल यात्रियों की यात्रा सुविधा से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध नहीं और यदि हां, तो वर्ष 1967, 1972 और 1976 में किन्हें यह सुविधा दी जाये, इसके क्या नियम थे ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : माननीय पास मंत्री के अनुमोदन से ऐसे संगठनों/व्यक्तियों को दिये जाते हैं जो रेलों या देश के लिए कर रहे अपने अपने कामों के आधार पर उनके पात्र हों। ऐसे पास जारी किये जाने की तारीख से एक सीमित अवधि एक वर्ष से अनधिक के लिए होते हैं। यह अवधि कार्य क्षेत्र और तत्सम्बन्धी अपेक्षित अवधि पर आधारित होती है। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और 1967, 1972 और 1976 में जारी किये गये ऐसे पासों की संख्या निम्नलिखित है :—

1967	1972	1976
59	71	155

जहां तक रेल यात्रा में रियायत का सम्बन्ध है एक विवरण संलग्न है जिसमें यह सूचना दी गयी है।

विवरण

कुछ सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक महत्व की अखिल भारतीय निकायों के वार्षिक अधिवेशनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को भी रियायती रेल यात्रा की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा पहले दर्जे में 15 प्रतिशत और दूसरे दर्जे में 50 प्रतिशत होती है।

नीति के रूप में, ऐसे संगठनों के अनुरोधों पर विचार करते समय, सामान्यतः निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है :—

(i) वह संगठन अखिल भारतीय हो न कि क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तर की।

(ii) वह संगठन शैक्षिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक महत्व का हो।

(iii) वह राजनीतिक, धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक विचार की न हो।

(iv) सामान्यतः किसी विशेष कार्यक्षेत्र के अखिल भारतीय एक ही संगठन को रियायतें दी जाती